किसानों की आवाज का दस्तावेज

cecoedecon

सीमित वितरण हेतु

आवाज...

वर्ष-5 अंक-13 जून 2017

किसान सेवा समिति महासंघ

खुला बाजार और किसानों के हक
एक संवाद
1 जनवरी 2017
शीलकी डूंगरी चाकसू (जयपुर)

भीतर के पन्नों में

1. जैव विविधता संरक्षण और हम
2. लाभकारी मूल्य-आखिर कब मिलेगा।
3. महिलाओं द्वारा हिंसा का किया विरोध
4. अनिल माधव दवे का आव्हान जो आपणी
5. शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के जनक-पालेकर
6. गांव के आर्थिक संकट कैसे दूर हो
7. गिलहरी का राष्ट्रधर्म
8. चारभूजा मन्दिर जहां प्रथम भोग मोची लगाता है
9. जनतन्त्र का जन्म- कविता
10. राजस्थान में ओरण
11. संस्था सीख से बदल गयी कार्य की दिशा
12. और कदम बढते गये
13. महिला सशक्तिकरण -वजूद परियोजना
14. संगठन द्वारा किया गांव का विकास
15. जैविक कृषि व बाधाऐं
16. श्रद्धा समून
17. महासंघ की गतिविधियां

किसान सेवा समिति महासंघ

(स्वराज कैम्पस), एफ-159-160
सीतापुरा औद्योगिक एवं संस्थागत
क्षेत्र, जयपुर-302022

द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय .....

जैव-विविधता संरक्षण और हम

विभिन्न शोधों एवं ज्ञान–विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी पर करीब एक करोड़ प्रजातियॉ हैं। इनमें से करीब 15 लाख प्रजातियॉ मिल पायी है। इनमें भी अनेक जीव–जन्तुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियॉ विलुप्त होने के कगार पर है, जो चिन्ताजनक हैं। वर्तमान में हम विकास की अन्धी दौड़ व ना समझी से जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं। पर्यावरणविद एवं शोधार्थी बताते हैं कि आने वाले समय में वही राष्ट्र टिका रहेगा, जो अपनी जैव विविधता को बचा पायेगा!

विकसित एवं अविकसित देशों की परिभाषाऐं बदलने की ओर अग्रसर है–जिस देश के पास जितनी जैव विविधता होगी, वह उतना ही सम्पन्न राष्ट्र कहलायेगा, क्योंकि वही राष्ट्र लम्बे समय तक टिका रह सकता है। हथियारों का असीमित उत्पादन उस देश की समृद्धि एवं खुशहाली का माप नहीं हो सकता है। यह भी विसंगति है, अमीर संसार के सीमित संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं, जबकि गरीबों के पास जीवित रहने के पूरे अधिकार भी नहीं है।

जहॉ तक भारत की बात है, भारत में विश्व का भू–क्षेत्र दो प्रतिशत से भी कम है, परन्तु कुल मिलाकर विभिन्न प्रजातियां पांच प्रतिशत से भी ज्यादा है। जैव विविधता की दृष्टि से हम काफी सम्पन्न है, भारतीय चिन्तन कहता है जब तक पृथ्वी पर वन्य जीवों से सम्पन्न वन हैं, तब तक धरती मानव वंश को पोषण करती रहेगी। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में प्राकृतिक क्षेत्रों के अभयारण्यों के रूप में सुरक्षित रखने पर जोर दिया है।

इस धरती पर प्रत्येक जीव–जन्तु–वनस्पतियों का अपना एक प्रायोजन है, महत्व है। इनका संरक्षण एवं आपसी (समन्वय) तालमेल बनाये रखना ही पर्यावरण संतुलन है। परन्तु राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न प्रजातियों के 36 तरह के पौधे (वृक्ष) काटने की अनुमति देना एवं चरागाह में खनन की अनुमति देना क्या दर्शाता है कि सरकार इन मुद्दों पर कितनी संवेदनशील एवं जवाबदेह है।

शेष पृष्ठ 9 पर .....

संरक्षक व मार्गदर्शन :
श्री शरद जोशी

संपादक :
भगवान सहाय ढाधीच

ग्राफिक्स :
रामचन्द्र शर्मा एवं भँवरलाल

लाभकारी मूल्य – आखिर कब मिलेगा ?

आज देश का किसान वर्ग अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। अपनी वाज़िब मांगों (जो सरकारों ने अपने घोषणा पत्रों में कहा था) के लिये भी उसे सड़कों पर उतरकर सत्याग्रह का मार्ग पर चलना (अपनाना) नियति बन चुकी है। रासायनिक खादों, बीजों एवं खेती के काम आने वाले सामानों के मूल्यों में आयी तेजी, एवं उपज का लाभकारी मूल्य न मिलना किसानों को कर्ज के जाल में फंसना उन्हें आन्दोलन को मजबूर करते हैं।

किसानों को रियायतें देना किसानों पर उपकार नहीं है। खेती सुरक्षित एवं खाद्यान्न सुरक्षा के लिये किसानों की उनकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देकर उन्हें उत्पादन दुगुणा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अमेरिका व यूरोप में किसानों को विभिन्न मदों में भारी प्रत्यक्ष सहायता देकर वहां की सरकारें किसानों को घाटे से उबारती है। उदाहरणार्थ यूरोप के किसानों को 4000 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष अनुदान मिल रहा है। यह राशि भारत के किसानों की औसत आय से लगभग दोगुनी है। अमेरिका ने 1995 से 2009 के मध्य बारह लाख पचास हजार करोड़ का कृषि अनुदान अपने किसानों को दिया है, जिससे किसानों को न केवल सीधी आर्थिक सहायता प्राप्त हुयी, बल्कि उन्हें बाजार घाटा/प्रति चक्र घाटा जैसे लाभ प्राप्त किये।

आज कृषि वैज्ञानिक एवं कार्पोरेट जगत के लोग किसानों को आमदनी बढ़ाने हेतु उन्हें पैदावार बढ़ाने की सलाह देते हैं तो समझ में नहीं आता पैदावार बढ़ने से आमदनी कैसे बढ़ जायेगी, क्योंकि उपज़ बढ़ाने के लिये किसानों को उपज से प्राप्त आय की तुलना में कई गुणा अधिक लागत लगानी पड़ती है, किसान को उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो।

भारत सरकार द्वारा कुछ प्रमुख उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, इसका दायरा बढ़ाकर सभी कृषि उत्पादों के मूल्य (लागत के आधार पर लाभकारी) निश्चित करने की नीति अपनानी चाहिये। फिर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिन जिन्सों का मूल्य सरकार घोषित करती है, उस मूल्य पर उसका कोई खरीददार नहीं मिलता न कृषि मण्डिया न F.C.I. आदि एजेन्सियॉं।

इससे किसान (घोषित मूल्य) से भी कम कीमत पर अपने जिन्सों को बेचने को मजबूर होता है। सरकार एवं सरकारी एजेन्सियां भी बिचोलियों के मार्फत खरीदकर किसानों को ठगती है। सरकारी दायित्व है कि किसान को लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित करें। जैसा कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है।

महत्वपूर्ण पहलू है। कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करते समय मूल्य निर्धारण कमेटियां एवं सरकारी तन्त्र उन मानकों की अनदेखी करता है, जिनके आधार पर लाभकारी मूल्य घोषित किया जा सकता है। लाभकारी मूल्य निर्धारित करते समय पूॅंजी के रूप में भूमि के मूल्य का ब्याज, भूमि तैयारी खर्च अन्य संसाधन का मूल्य, सिंचाई, गुड़ाई–कटाई, गुड़ाई–निराई आदि का खर्च, भण्डारण एवं यातायात खर्च पर कम से कम 2% हानि सम्पूर्ण खर्च पर 20% आपदा क्षति आदि बिन्दुओं को जोड़कर 15 से 50 प्रतिशत लाभांश जोड़कर उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहिये। पर सरकार खामोश है। बिल्कुल खामोश मानो किसान सरकार के एजेन्डे में है ही नहीं। सरकार की स्पष्ट नीति न होने से बिचौलिया इस क्षेत्र में प्रभावी एवं निर्णायक भूमिका निभाता है।

कैसी विडम्बना है किसान को भी लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा तो उपभोक्ता को भी महंगे भाव में उत्पाद खरीदना पड़ता है। उदाहरणार्थ

किसान से प्याज 3–5 रूपये प्रति किलो खरीदा जाता है व उपभोक्ता तक पहुंचते–पहुंचते 15–20 रूपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। किसान की स्थिति को बेहतर बनाने, कृषि रोज़गार सृज़ित करने, कृषि कार्य वालों का पलायन रोकने हेतु केन्द्र सरकार को चाहिये कि राष्ट्रीय कृषि नीति, कृषि उत्पादन विपणन नीति एवं कृषि उपज मूल्य निर्धारण नीतियों पर पुनर्विचार करें।

कृषि उत्पाद का मूल्य निर्धारण करते समय मूल्य निकालने का व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक फार्मूला तय करें तथा लागत मूल्य पर प्राकृतिक आपदा हानिक सहित सभी कृषि खर्चों को जोड़कर 50% लाभकारी मूल्य जोड़कर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करें। खेती मानव जीवन की रक्षा का सर्वोत्तम एवं एकमात्र उपाय है व किसान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्र निर्माण में महत्ती भूमिका निभाते हैं। एक कृषि अर्थ शास्त्री की टिप्पणी भी आज प्रासंगिक है।

अगर किसानों के हाथ ढ़ीले पड़ गये तो ज्ञानियों का ज्ञान, नेताओं के भाषण, कारखानों का निर्माण, युवाओं के स्वप्न और तपस्वियों का तप भी बेकार हो जायेगा।

महिलाओं द्वारा हिंसा का विरोध

ग्राम बडारा शाहाबाद ब्लॉक से 30 किमी की दूरी पर बसा हुआ है। जिसमे सहरिया समुदाय के 45 परिवार निवास करते है। जहा पर संस्था द्वारा ग्राम विकास के लिये ग्राम विकास समिति बनी हुई है जिसकी अध्यक्ष विद्या बाई सहरिया है। जो 2010 मे महिला पंच सरपंच संगठन की सदस्य भी रही है। संस्था कार्यकर्ता द्वारा हर माह ग्राम विकास समिति बैठक का आयोजन वीडीसी अध्यक्षता मे किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि हमारे गांव की महिला जंगल में वन उपज गोंद, महुआ, सूखी लकड़ी लेने जाती है तो मुण्डियर निवासी मोगीया सहरिया महिलाओं को परेशान, छेडछाड एवं मारपीट करते हैं। संस्था कार्यकर्ता द्वारा वीडीसी मीटिग में बताया गया की उन महिलाओ को लेकर पुलिस थाने जाओ और उन मोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दो। इस बात से वीडीसी अध्यक्षा सहमत हुई और कहा की यदि अगली बार ऐसा होगा तो हम अवश्य ही उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवायेंगे।

दिनांक 18.12.2016 को 8 सहरिया महिला जंगल मे सूखी लकडी हेतु गई थी और उनके साथ मुण्डियर निवासी माखन मोगिया सहित 6 लोगो द्वारा मारपीट की गई। इसके लिये ग्राम विकास समिति अध्यक्ष विद्या बाई एवं 7 सहरिया महिला द्वारा शाहाबाद पुलिस थाने में आकर उन सातों लोगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवायी गई। रिपोर्ट दर्ज कराने के 3 दिन बाद ही पुलिस द्वारा सातों मोगियाओं को हिरासत में लिया गया व धारा 3 लगाकर मुकदमा चलाया गया।

फॉलोअप के दौरान महिलाओं ने बताया कि अब हम सहरिया महिलाऐं जंगल मे बिना किसी डर के सूखी लकड़ी काटने जाते हैं।

स्व. अनिल माधव दवे का आव्हान जो आज भी प्रासंगिक है।

भारत में नदियों को सिर्फ जल राशि के कारण ही नहीं पूजा जाता वरन् माना गया कि प्रत्येक नदी एक सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है।

अपने–अपने इलाकों की भौतिक समृद्धि में अपनी नदियों के योगदान के प्रति हम कृतज्ञ है पर्यावरण एवं जैव विविधता में उनका महत्वपूर्ण योगदान हे, उन्हें जीवन दायिनी मानते हैं, लेकिन गत 50 वर्षो में समय के साथ बहते–बहते शक्ति विहीन हो चली है, ये नदियॉ। बेचारी बेबश नदियों के साथ आज जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर वर्तमान पीढ़ी बुद्धिजीवी, नीति–निर्माता ख़ामोश हे।

यह मानव की मनः स्थिति में बदलाव है दृष्टि दोष है। नदियों को एक सम्पूर्ण सभ्यतागत इकाई मानने के बजाय उन्हें दो किनारें के बीच सिमटी हुई जल प्रदाय इकाई के रूप में देखना और उसी के अनुसार नीतियॉ बनाना आज का प्रचलन है– पर हमें यह समझना होगा कि नदियों के आस–पास रहने वाले जन का अपना समाज शास्त्र है– नदी का अपना अर्थशास्त्र भी है, वह आजीविका, उत्पादन, आय–व्यय, ऊर्जा एवं आर्थिक उन्नति के रहस्यों को अपने में छुपाये हुये हैं, भारतीय नदियों के तट पर आध्यात्मिक धर्म साधना केन्द्र हैं, जो नदियों को दिव्यता के भाव से पूर्ण करते हैं। भारत में प्रकृति को समझने उसी के नियमों के अनुसार अपना संसार खड़ा करने और उसके साथ सामन्जस्य में भी अपनी सभ्यता का उत्कर्ष देखने का अभ्यास किया गया। इसलिये भारत ने पर्यावरण की दृष्टि से विश्व की सबसे उन्नत, चिन्तन एवं सभ्यता विकसित की।

आज जिस सभ्यता और सोच का बोझ पूरा विश्व ढ़ोने को विवश है, उस पश्चिमी सभ्यता की दृष्टि में प्रकृति, परमात्मा व मानव के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। पर भारतीय सभ्यता को नदी सभ्यता कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। भारतीय की प्रमुख नदियों जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिन्धु, गोदावरी, कृणा और कावेरी का साहित्य में स्थान–स्थान पर गौरव गान हुआ है, वे हमें पवित्र करती है वे चाहे हिमालय से निकली हो, विन्ध्य से या सह्याद्रि से अथवा मेघ प्रसूत जल को धारण करके अपने से बड़ी किसी जलधारा में विलीन होने के लिये प्रस्तुत हुयी हों सभी पूण्यदायी एवं कल्याणकारी हैं।

ब्रिटिश राज्य में 1810–11 में फ्रांसिसी–बुकानिन ने भारतीय की नदियों का विस्तृत सर्वेक्षण किया था। उसी समय से इन नदियों के बारे में शासकों की दृष्टि बदल गयी। वे उन्हें केवल उपभोग करने की दृष्टि से देखने लगे, राज्य कर्ताओं ने उनकी पवित्रता की रक्षा का उनके उद्गम व जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व छोड़ दिया। तब से अब तक नामचीन नदियों पर बांध बन गये हैं, वर्षा ऋतु के अलावा सामान्यतः उनमें प्रवाह नहीं रहता।

जलग्रहण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों ने निर्बाध प्रदूषण युक्त रसायन छोड़ा है। पेड़–पौधे जो वर्षाकाल में जल संजोकर सालभर नदियों को पूरते रहे हैं, वे जंगल अन्धाधुन्ध अवैध कटाई की बलि चढ़ गये, परिणाम यह रहा देशभर में हजारों छोटी नदियां दम तोड़ चुकी है, जिन नदियों को हम सूखा नहीं पाये, उन्हें हमने बहते, सड़ांध मारते गन्दे नालों में बदल दिया है। विश्व आधुनिक सभ्यता में कहीं और नदियों, सरोवरों, वनों, पर्वतों के प्रति ऐसा पूज्य भावन नहीं दिखाया जाता, जितना अपने भारत में। लेकिन विश्व में और कहीं नदियों की इतनी दुर्दशा व उपेक्षा दिखाई नहीं देती, जितनी भारत में।

स्वतन्त्रता के पश्चात् हमने नदियों के प्रति ब्रिटिश काल से भी ज्यादा स्वार्थी एवं कृतघनतापूर्ण व्यवहार दिखाया है। जबकि ये पूरे देश की सम्पत्ती है।

अतः नदियों एवं जलाशयों की पवित्रता और उनके जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा का दायित्व सामाजिक पंचायतों को सौंपना सार्थक होगा। उसके पास पर्याप्त साधन नही इसकी व्यवस्था कार्यपालिका को करनी होगी; संसद एवं विधान सभाएं इस सम्बन्ध में कठोर नियम बनाये। इन सबके लिये समुचित जन जागरण अपेक्षित है। नदियों को केन्द्र बनाकर खड़े किये गये परम्परागत धार्मिक–सामाजिक आचारों और उत्सवों को पुनर्जीवित करना होगा।

यह सब तभी सम्भव है, जब हमारा राजकीय तन्त्र प्रकृति के प्रति अपनी दृष्टि बदले और समाज अपनी व्यवस्थाओं के प्रति अधिक जागरूक व आग्रही हो। अपनी नदियों को निर्मल करके ही हम भारतीय सभ्यता की पवित्र धारा को स्वच्छ रख सकते हैं।

शून्य बजट प्राकृति कृषि के जनक–पालेकर

महाराष्ट्र के बेलोरा गांव के मूल निवासी सुभाष पालेकर को कृषि का ऋषि कहा जाता है। यह तमगा देश में खेती–किसानी के लिये काम कर रही तमाम संस्थाओं ने दिया है। 67 वर्षीय पालेकर को कृषि क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिये भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। इस सम्मान के पीछे है सबसे बड़ी वजह है उनका फार्मुला! ये फार्मुला है ''ज़ीरो बज़ट नेचुरल फॉर्मिंग का! इस फॉर्मुले से करीब 40 लाख किसान आर्थिक रूप से सम्पन्न बन रहे हैं।

1972 में ठण्बए एग्रीकल्चर करने के पश्चात् उन्होंने पिताजी से खेतों में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के इस्तेमाल पर जोर दिया, इसमें फसल की पैदावार में जबरदस्त इज़ाफ़ा हुआ। 10 साल बाद पालेकर ने देखा कि खेती की पैदावार कम होने लगी है। खेती की मृदा हालत बिगड़ती जा रही है, इससे पालेकर के विचारों में अन्तर्द्वन्द मच गया व फिर उन्होंने इस पर तीन साल अनुसन्धान किया कि फसल कम क्यों हो रही है?

पालेकर ने अपने शोध में पाया कि रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इससे पालेकर गहन आत्ममन्थन में लग गये व दृढ़ निश्चय किया, फसलों के लिये कुछ जरूर करेंगे। इस प्रकार उन्होंने शुरू की ज़ीरो बज़ट नेचुरल फॉर्मिंग– सन् 1986 से 1989 तक पालेकर ने वन, वनस्पति पर पढ़ाई एवं शोध किया, उन्होंने जंगलों की तरह प्राकृतिक फसल उगाने के लिये नेचुरल ईकोसिस्टम की खोज़ की, शुरूआत पालेकर ने अपने खेती से ही की।

वैज्ञानिक अनुसन्धानों के मुताबिक पौधे डेढ़ से दो फीसदी पोषक तत्व मिट्टी से लेते है, जबकि 98: पोषक तत्वों की पूर्ति हवा व पानी से हो जाती है। मिट्टी से मिलने वाले 2 प्रतिशत पोषक तत्व पर तमाम तरह के रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग करने से वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही रासायनिक से उगाये फल, सब्जियां मानव स्वास्थ्य के लिये घातक रहे सो अलग।

6 साल की शोध के बाद –पाया कि देशी गायों के गोबर की खाद जर्सी या होलस्टेन गाय के गोबर के मुकाबले बहुत बेहतर है। चाहे फिर बैल हो या भैंस का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काले रंग की कपिला गाय का गोबर और पेशाब मिले तो और भी बेहतर खाद तैयार होती है।

एक एकड़ जमीन के लिये महीने में 10 किलोग्रम गोबर की खाद की जरूरत पड़ती है, जबकि एक दिन में एक दिन में एक गाय औसतन 11 किलो गोबर देती है। एक गाय से मिले गोबर से तीस एकड़ जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। गाय का पेशाब, गुड़ खरा हुआ एवं आटा गोबर की खाद को और अच्छा बना सकते हैं।

गांवों में गायों के प्रति उदासीनता है। परन्तु गाय का गोबर खेती के लिये सबसे अच्छी खाद है जो मिट्टी को पुनर्जीवित कर देता है। उल्लेखनीय है गाय का गोबर जितना ज्यादा ताजा होगा, उतना ठीक है। पेशाब जितना पुराना लाभकारी होगा। आज इस फॉर्मूले से करीब 40 लाख किसान आत्मनिर्भर बन लाभ की स्थिति में है।

उन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का प्रचार कार्यशालाओं सेमिनारों एवं इस विषय पर विभिनन भाषाओं में करीब 30 पुस्तके लिखकर किया। सुभाष पालेकर को पूरस्कार पदम श्री से सम्मानित किया है एवं उन्हें बसव श्री व गोपाल गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

भारत के विभिन्न राज्यों के करीब 40 लाख किसान शून्य बजट प्राकृतिक कृषि कर रहे है व आर्थिक सम्पन्नता की ओर बढ रहे है।

पालेकर का विश्वास है कि किसानों को आत्म हत्याये रोकने व इन्सान को जहर मुक्त भोजन उपलब्ध करवाने का एक ही तरीका है शून्य बजट प्राकृतिक कृषि।

गाँव आर्थिक संकट से कैसे उबरे ?

हाल के वर्षो में किसानों की आत्महत्या के रूप में तो कभी दस्तकारों एवं मजदूरों की आत्महत्या के रूप में हमारे गांवो के दुख बहुत दर्दनाक तरीके से उभर रहे है, जब बहुत मेहनत करने के बावजूद कृषि में गहरी निष्ठा होने के बावजूद कोई गांववासी कर्ज में घंस कर हर तरफ से निराश होकर आत्महत्या के लिये मजबूर हो जाता है तो समझ लीजिये गांव चेतावनी देता हुआ कराह रहा है यदि इस बार भी मेरे दर्द से विचलित होकर कुछ न किया तो फिर मैं नहीं बचुंगा मैं नही बचुंगा। पर इस सबसे बुनियादी चेतावनी से बेखबर हमारी व्यवस्था उसी रास्ते पर चलती रहती है। जिसके कारण गांवो में खेती व दस्तकारियों का यह सकंट उत्पन्न हुआ है।

गांववासियों की आजीविका की रक्षा के लिये व सब ग्रामवासियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिये तो ग्रामीण संकट का समाधान करना जरूरी है ही साथ ही विश्व में अति गम्भीर हो चले पर्यावरणीय संकट के समाधान के लिये ग्रामीण सभ्यता को बचाना बहुत आवश्यक है। यह पर्यावरणीय संकट ग्रामीण सभ्यता की रक्षा के बिना हल नहीं हो सकता है।

गांवो का संकट लगभग पूरी दुनियां में मौजूद है, पर इसके रूप अलग–अलग हैं संयुक्तराष्ट्र अमेरिका जैसे कई विकसित देशों में अपेक्षाकृत छोटे किसान एवं खेत लुप्त होते जा रहे है व बडी कम्पनियों के हाथों में अधिक भूमि केन्द्रित हो रही है। कनाड़ा में वर्ष 1941 में जितने किसान है, आज उनमें से मात्र एक चौथाई बचे है।

अमेरिका में 1935 में 68 लाख किसान थे आज मात्र 19 लाख किसान बचे है। लेटिन अमेरिकी देशों में ग्रमीण आबादी सिमटकर रह गयी है, ये विकासशील देश मुख्य रूप से शहरी आबादी के क्षेत्र बन कर रह गये है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां जनसंख्या का अधिक हिस्सा अभी गांवों में ही है पर ग्रामीण जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुख्यरूप से भूमिहीन दस्तकार छोटे व मध्यम श्रेणी के किसान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे है अपनी ओर से भरपूर मेहनत करने के बावजूद भी अधिकांश लोग अपनी बुनियादी जरूरते पूरी करने में असमर्थ है वे कर्जग्रस्त हो रहे है बेहद तनावग्रस्त एवं अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर है।

दूसरा पक्ष है यह वर्ग नियमित तोर पर वर्ष में कई महिनों मजदूरी के लिये शहरो एवं अन्य क्षेत्रो में भटकते रहते है। जिससे ग्राम के मेहनत कशों के ग्राम से बाहर रहने से गांव में स्थायी, टिकाऊ विकास के अवसर प्रति वर्ष कम होते जा रहे है व कहा नही जा सकता। इस वर्ग का ग्राम से कब नाता टूट जायेगा या तोडना पड़ेगा।

अतः ग्रामीण संकट समाधान के लिये हमें ऐसी सोच व तकनीक चाहिये जो गांव के कमजोर वर्ग के परिवारों को अपने ही गांव में मेहनत कर बुनियादी जरूरते पूरी करने में सक्षम बनाये। तो इससे में यह सम्भावना बढ़ेगी कि ग्राम के मेहनतकश किसान गांव व आस–पास के खेत चारागाह वन जलस्त्रोत सुधारकर ग्राम के दीर्धकालीन विकास एवं गांव के पर्यावरण की रक्षा कर सकेगें। मूल बात यह भी है कि प्राकृतिक संसाधनों का समतामूलक उपयोग हो व उनकी रक्षा सब लोगों की भागेदारी से हो इसके लिये जरूरी है प्रकृति का विनाश करने वाली तकनीके न अपनायी जाये।

ऐसी परम्परागत तकनीके न अपनायी जाये जिससे मिट्टी का प्राकृतिक उपजाऊपन नष्ट हो या जल स्त्रोतो में जहरीले रसायन पहुंचे। प्रकृति की प्रकियाओं को समझ उसके अनुकूल खाद्य उत्पादन व अन्य उत्पादन बढाने का प्रयास करे। इस कार्य को दुनियां के पर्यावरण संकट से जोडकर देखे व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी आगे बढे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ अन्य रोजगार भी जुडने चाहिये,

ग्रामों में अच्छी व सस्ती शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाऐं समानता के आधार पर सभी को उपलब्ध हो।

किसान को अपने उत्पाद का उचित व लाभकारी मूल्य मिले व उनका उपभोक्ताओं से सीधे सम्पर्क बनने चाहिये ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य मिले, पशुपालन प्रोत्साहन योजनाऐ चले।

साथ ही कर्जे के पूराने ढर्रे को बदलना होगा, ऋण देने वाले बैंक एवं संस्थाऐ कर्ज के बदले जमीन गिरवी रख लेती है यदि किसान कर्ज नहीं चुका पाता तो वह जमीन से हाथ धो बैठता है जो उसकी स्थायी आय एवं भविष्य का मूल आधार है, फसल खराब हो जाने या कोई प्राकृतिक आपदा से यदि कृषि उपज नष्ट हो जाती है तो उसका भविष्य खतरे में पड जाता है। वास्तव में कानून बनाकर कर्ज के बदले जमीन बन्धक रखने की प्रक्रिया प्रतिबन्धित कर देनी चाहिये, कर्ज मिलने का आधार सिर्फ फसल ही होनी चाहिये ओर अगर फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट होती है तो ऋण प्रदायी संस्था व बैंक (राज्य सरकार) को नुकसान वहन करना चाहिये जिससे खेती करते समय किसान का भय खत्म हो जाये। ये प्रयास ग्रामीण जीवन व कृषि के अस्तित्व बचाने में सहायक हो सकते है।

-भारत डोगरा

गिलहरी का राष्ट्रधर्म

सेतु–बन्ध चल रहा था, श्री राम को देर तक एक दिशा में देखते देखकर लक्ष्मण ने पूछा–क्या देख रहे हैं तात ? राम ने तर्जनी से इंगित करते हुये कहा –देखो वहां क्या हो रहा है? लक्ष्मण ने देखा एक गिलहरी बार–बार समुद्र में डुबकी लगाती है और फिर दौड़कर सुखी बालू में लोट–पोट कर शरीर पर चिपके कणों को सेतु निर्माण स्थल पर ले जाकर झाड़ देती है।

हे प्रभू! वह सागर स्नान और बालु क्रीड़ा का आनन्द ले रही है, नहीं लक्ष्मण ऐसा नहीं है, उसके भाव का तुम अध्ययन नहीं कर सके, चलो निकट चलकर उससे ही पूंछें। दोनों निकट गये! श्री राम ने पूछा भद्रे क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं प्रभो इस पूण्य कार्य में मेरा भी न्यूनाधिक योगदान हो, यह मानकर यथा सम्भव कुछ कर रही हूं, कहकर गिलहरी पुनः सागर की ओर मुड़ी! उसे टोकते हुये राम बोले, तुम्हारे सौ–पचास कण डालने से क्या होगा?

सत्य है प्रभो इस पूण्य राष्ट्रीय कार्य में मैं सृष्टि की दीन–हीन प्राणी होने के कारण कर ही क्या सकती हूँ। मेरे द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन भी क्या होगा? फिर मैं किसी आकांक्षा से नहीं कर रही यह तो राष्ट्र कार्य है, योग्यता व क्षमता के अनुसार प्रत्येक प्राणी को जितना वह कर सके निःस्वार्थ भाव से देश हित में कार्य करना चाहिये।

मेरा यह कार्य आत्मसन्तुष्टी के लिये है देव! हॉ बड़े लोगों के समान सहयोग न कर पाने का मुझे खेद अवश्य है। राम भाव विभोर उठे, गिलहरी को हथेली में लेकर किंचित क्षत–विक्षत शरीर पर अपने हाथ फ़ेरने लगे, गिलहरी धन्य हो उठी। राम गदगद हो कह उठे भद्रे धन्य है तेरी राष्ट्र साधना।

सम्पादकीय

..... शेष पृष्ठ 3 का

होना तो यह चाहिये कि राज्य सरकार ने जैव विविधता बोर्ड का गठन किया है, उसको व्यापक अधिकार एवं संशोधन उपलब्ध करवाकर ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का गठन कर आम जन में जैव विविधता के प्रति जागरूकता पैदा कर जैव विविधता संरक्षण की ओर कदम बढ़ाती।

इन परिस्थितियों में जन संगठन व समुदायों का दायित्व ओर अधिक बढ़ जाता है कि वे संयुक्त रूप से जन–अभियान चलाकर सरकार पर निर्णायक दबाव बनाये कि वे ऐसे कोई फैसले न लें जो पर्यावरण सन्तुलन पर विपरीत प्रभाव डालते हों व आम जन की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा प्रभावित करते हो। यही वक्त का तकाजा है।

चार भुजा मन्दिर – जहां प्रथम भोग लगाते हैं मोची

मेड़ता का विश्व प्रसिद्ध चारभुजा एवं भक्त शिरोमणी मीरॉ बाई का मन्दिर कृष्ण भक्ति में सारोबार के साथ साम्प्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। यही यह मन्दिर जातिगत भेदभाव को मिटाने की पुरानी परम्पराओं को आज भी निभा रहा हैं।

इस विश्व प्रसिद्ध चारभुजा मन्दिर में आज भी ठाकुर जी को सर्वप्रथम भोग अनुसूचित जाति का एक मोची परिवार लगाता है, चारभुजा मन्दिर में भगवान चारभुजा भगवान के प्रतिदिन मंगला आरती के बाद तड़के भोग के रूप में दूध की मिठाई व चन्दन का टीका अनुसूचित जाति के मोची परिवार के व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

कहा जाता है विक्रम संवत 1532 में निर्मित हुये चारभुजा मन्दिर के पूर्व मेड़ता में राव दूधा का आधिपत्य था। इनके पांच बेटे थे, जिसमें वीरम् देव सिंह सबसे बड़े बेटे थे। वीरम देव के घर में भक्त शिरोमणी जयमल पैदा हुये, एवं वीरम देव के छोटे भाई रतन सिंह ने मेड़ता से पचास किलोमीटर दूर कुड़की गांव बसाया–वे परम भक्त मीरा बाई के पिता थे। मीरॉ बाई एवं जयमल दोनों ही ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे।

मेड़ता में राव दूधा के शासन काल में इनके पास एक गाय रहा करती थी, जो यही के वाशिन्दे श्री रामधन मोची के बाड़े में जाकर एक जगह विशेष पर खड़ी हो जाती, यहां स्वतः ही गाय के स्तन से दूध झर जाता जिसको देखकर रामधन मोची को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने यह वृतान्त महाराजा राव दूधा को सुनाया, जिन्हें एक बारगी रामधन मोची के कथन पर विश्वास नहीं हुआ मगर जिस आत्म विश्वास से रामधन मोची ने घटना बताई उसमें राव दूधा को विश्वास करना पड़ा और उसी रात को राव दूधा जब गहरी नींद में सोये हुये थे तो भगवान चारभुजा नाथ ने राव दूधा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा जहां तुम्हारी गाय मां प्रतिदिन दूध देकर जाती है, उसी स्थान के नीचे केर के पेड़ के पास साढ़े तीन फीट जमीन के नीचे मेरी मूर्ति (प्रतिमा) है। उस मूर्ति को निकालकर मन्दिर का निर्माण करवा दो।

जहां गाय दूध देती थी, वह स्थान रामधन मोची का था, इसलिये राव दूधा ने अपनी बात रामधन के सामने रखी, ईश्वरीय प्रेरणा में रामधन ने आग्रह के साथ शर्त रखी कि ठाकुर जी का मन्दिर बनने के पश्चात नियमित रूप से मेरे हाथ का बाल भोग सबसे पहले चढ़ेगा। इस आग्रह को शासक राव दूधा ने सहर्ष मान लिया। राव दूधा ने "प्रभू स्वप्न में कहे अनुसार मन्दिर बनवाये", "मोची द्वारा सदा भोग लगाये", के अनुसार ठाकुर जी का भव्य मन्दिर विक्रम सम्वत 1532 में बनवा दिया।

महाराजा ने मन्दिर के प्रथम पुजारी कालू राम को निर्देश दिया कि मन्दिर में तड़के होने वाली आरती के पश्चात प्रथम भोग रामधन मोची का ही चढ़ेगा। यह स्वयं ठाकुर जी की आज्ञा है। यही परम्परा आज भी चली आ रही है। वर्तमान में यह परम्परा रामधन मोची के वंशज़ बिना किसी दिक्कत के निभा रहे हैं व गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

परम भक्त मीरा बाई की इस धार्मिक नगरी मेड़ता में बारह माह ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, पर श्रावण सुदी पंचमी से प्रारम्भ होकर एकादशी तक (सात दिनों) तक विशाल मेला एवं प्रख्यात भज़न गायक मां मीरा एवं चारभुजा के दरबार में अपनी भक्ति रचनाएं प्रस्तुत करते हैं साथ ही सात दिन तक अखण्ड हरि कीर्तन से भक्ति की अवरिल धारा बहती रहती है, जिनमें मीरा बाई के अपने आराध्य के अन्य स्नेह एवं भक्ति को दर्शाते हैं।

मीरा के मेड़ता प्रवास के दौरान एक बारात राजभवन के निकट से गुजर रही थी तो मीरा ने माता से सहज़ भाव में पूछ लिया मां यह क्या है? माता ने कहा यह दुल्हा और उसकी बारात है, मां मेरा दुल्हा कोन–सा है? माता ने बेटी के प्रश्न को सुनकर कह दिया तेरा दुल्हा तो श्री कृष्ण है। मीरॉ के मन में यह बात रम गयी, एवं माता के कहने पर मीरा पूर्ण निष्ठा व विश्वास के साथ श्री कृष्ण को पति मानने लगी।

उनके पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मांई रे मैं तो लियो गोविन्दो मोल आदि कृष्ण अर्पित भाव– भज़न आज़ देश के घर–घर में गाये जाते हैं। मीरा कृष्ण भक्ति की प्रमुख थी –उनके जैसा प्रेम अन्यत्र मिलना दुर्लभ है मीरा सर्वश्रेष्ठ भक्ति मति होने के साथ महान कवियित्री भी थी।

अपने अटल भक्ति मार्ग में अनेक झंझावतों को झेलते हुये श्री कृष्ण भक्ति में तल्लीन मीरा बाई ने वि. स. 1604 की माघ सुदी पंचमी को द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति में विलीन हो गयी। मेड़ता नगर में विश्व प्रसिद्ध श्री चारभुजा नाथ एवं मीरा बाई के मन्दिर में वि. स. 2001 में मीरा की संगमरमर की आदमकद मूर्ति तत्कालीन हाकम श्री मुकून्दर दास जी माहेश्वरी ने भामाशाह श्री बांगड़ जी डिडवाना के आर्थिक सहयोग से बनवाकर स्थापित की, जो भगवान के सामने मुख किये हुये हैं।

जनतन्त्र का जन्म

रामधारी सिंह दिनकर

सदियों की ठण्ड़ी – बुझी राख सुगबुगा उठी,
मिट्टी सोने का ताज़ पहन इठलाती है।
दो राह समय के रथ का घर्घर नाद सुनो,
सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है।

जनता?हॉ मिट्टी की अबोध मूरतें वहीं,
जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली:
जब अंग–अंग में लगे सांप हो चूस रहे,
तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली।

जनता हॉ लम्बी–बड़ी जीभ् की वहीं कसम,
जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है।
सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है?
है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है?
मानों जनता को फूल जिसे अहसास नहीं
जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में,
अथवा कोई दूधमुंही जिसे बहलाने के,
जन्तर मन्तर सीमित हो चार खिलौनो में–

लेकिन होता भूडोल बबण्डर उठते हैं,
जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है।
दो राह समय के रथ का घर्घर नाद सूनो।
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।

हुंकारो से महलों की नींद उखड़ जाती,
सांसों के बल से ताज़ हवा में उड़ता है।
जनता की रोके राह, समय में ताब कहां,
वह जिधर चाहती, काल उधर ही मूड़ता है।

अब्दों, शताब्दियों, सहस्त्राब्द का अन्धकार,
बीता गवाक्ष अम्बर के दहके जीते हैं।
यह ओर नहीं कोई जनता के स्वप्न अज़य,
चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं।

सबसे विराट जनतन्त्र जगत का आ पहुॅचा,
तैंतीस कोटि हित सिंहासन तैयार करो।
अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है,
तैतीस कोटि जनता के सिर पर मुकूट धरो।।

आरती लिये तू किसे ढूंढता है मूरख,
मन्दिरों, राजप्रसादों में तह खानो में
देवता कहॉ सडको पर गिटटी तोड रहे
फावडे एवं हल राजदण्ड बनने को है
धूसरता सोने का श्रृगांर सजाती है,
दो राह समय के रथ का घर्घर नाद सूनो
सिहांसन खाली करो कि जनता आती है।

राजस्थान के ओरण

ओरण एक समर्पित वन का नाम है किसी गांव विशेष अथवा उसकी जाति विशेष ने कोई वन अपने पितृो अपने इष्ट देवता को समर्पित कर दिया हो तो वह ओरण कहलाता है। इस वन का अपना एक संविधान कहता है कि कोई इस वन से कोई पेड नहीं काटेगा कोई इस वन से किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं लेगा। कोई भी इस वन में बसने वाले किसी भी जीव की हत्या नही करेगा। इस वन के सभी चराचर जीवों को सदा सर्वदा के लिये सम्पूर्ण अभय देता है यह संविधान। इस वन में एक थान होता है, जैसे रामदेव जी का थान, भोमियां जी का थान, पापूजी का थान आदि। इस प्रकार यह स्थान उस देवता का पूजा स्थल होता है जिसे यह वन समर्पित है। यदि यह पूजा स्थल वन में न हो तो उसके आस पास होता है वन उसी लोक देवता के नाम समर्पित होता है उसी देवता की सम्पत्ति होता है। एक मान्यता है कि ऐसा वन उस देवता का निवास स्थान होता है वे देवता इसी वन में विचरण करते है विहार करते है व यही बसते है।

राजस्थान के ओरण पेड़–पौधों ओर नाना वनस्पतियों को अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ पुष्पित–पल्लवित होने का खुला अवसर देते है कोई सड़क भी इन वनों के बीच में होकर नहीं गुजरती। पगडंडिया है जो वनस्पतियों को बचा कर चलते पांवों से बने प्रमाणों की तरह जमीन पर उकेर दी गयी है इन वनों में गायों बकरियों भेडो हिरणों आदि सभी वन्य जीवनों को सदा अभय दी है यहां सभी सुरक्षित है। गायों का सूखा गोबर एवं सुखी झाडियों ईधन के रूप में बटोरने की अनुमति ये वन अवश्य देते है। इस प्रथा के चलते लोगों का वन में आना जाना होता है उसकी निगरानी रहती है एवं गांवो का इन वनो के साथ रिश्ता भी बना रहता है इन वनों में जगह जगह पेड़ो पर पक्षियों के लिये पीने के पानी के छींके टंगे रहते है। गांव वाले आते जाते इन छीको में पानी भरते है।

चिडियों एवं चीटियों को चुग्गा डालने की अदभूत परम्परा को ओरण ने बनाये रखा है। ऐसे ही हिरणों एवं अन्य वन्य जीवों के पानी पीने के लिये कई जगह पत्थर या सिमेन्ट की खेलियां रखवायी जाती है।

प्राकृतिक वन सम्पदा की सहज रखवाली की यह एक सुन्दर परम्परा है। रखवाली का ऐसा कर्त्तव्य बोध हमारे गांवो को दर असल लोक देवताओं से ही मिला है राजस्थान के लोक देवता धरती के रखवाले थे व मानवता जानवरों पानी जंगलों वनस्पतियों एवं प्रकृति के रखवाले थे उनके धर्म में भेदभाव का कोई स्थान नहीं था। सारी पीडित एवं वंचित जातियों के लोग उनके अनुयायी थे ये देवता न्याय के संस्थापक थे, अन्याय से लडते–लडते अधिसंख्य लोक देवता शहीद हुये थे।

सम्भवतः यही कारण है कि इनके ऋण को चुकाने का "औरण" से अच्छा दूसरा कोई भी उपक्रम नहीं हो सकता था। ओरण कुदरत के जर्रे–जर्रे की रखवाली का ही दूसरा नाम है। ओरण लोगों के आस्था बोध एवं ऋण बोध की जीती जागती मिसाले है।

शेष पृष्ठ 17 पर

संस्थागत सीख से बदल गयी कार्य की दिशा

दिन ब दिन कटते पेड़, उज़ड़ते चरागाह, पानी की बूंद–बूंद के तरसते मानव व वातावरण में फैला जहर श्वांस लेने के लिये शुद्ध हवा भी कम पड़ने लगी है, ऐसे में आशा की किरण अनेक स्वयं सेवी संगठन एवं शख्स है, जो इन परिस्थितियों में भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति सज़ग एवं समर्पित है।

पशुपालन एवं कृषि कार्य से जुड़े मालपुरा क्षेत्र के कैलाश गुर्जर पर्यावरण संरक्षण कार्य में लगे हैं। आप स्वयं जैविक खेती करते है। साथ ही विभिन्न प्रजातियों के सैंकड़ों पौधे लगाये है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ 26 प्रजातियों के पौधे लगाने से ऑक्सीज़न सुलभ होने के साथ उनका दैनिक जीवन में उपयोग हो रहा है एवं जैविक विविधता संरक्षित हो रही है।

श्री गुर्जर 15 वर्षों तक गुर्जर समाज के अध्यक्ष रहते हुये बालिका शिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियों के ख़िलाफ़ समाज में अभियान चलाया। साथ ही आप पंचायत समिति मालपुरा के सदस्य रहे परन्तु धरातल नहीं छोड़ा, पशुपालन एवं कृषि से अनवरत जुड़े रहे हैं। वर्तमान में किसान सेवा समिति महासंघ के उपाध्यक्ष हैं।

2000 में सिकोईडिकोन संस्था से जुड़ने के बाद संस्था की सीख से राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक समझ बनी। संस्था के प्रशिक्षणों एवं शैक्षणिक भ्रमणों से आपने पर्यावरण संकट, जैविक कृषि, वृक्षारोपण अभियान, जैव विविधता आदि विषयों पर गहन जानकारी होने पर आपने जैविक कृषि एवं वृक्षारोपण का अभियान स्वयं के घर से शुरू करने का दृढ़निश्चय किया और आपने खेतों में जैविक खाद बीज उपयोग के के साथ अपने खेत में 26 प्रजातियों के 105 सदाबाहर पौधे, कैरून्दा, अंगूर, नीम, पीपीता, बिल्वपत्र, जामून, शीशम, पीपल, ग्वॉर पाठा आदि के पौधे लगाए। आपने जैविक तरीके से इस गर्मी के मौसम में जैविक मक्का की खेती की है।

श्री गुर्जर बताते हैं जैविक खेती एवं पौधे लगाने से परिवार की आर्थिक आय बढ़ी है। साथ ही मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ने के साथ स्वास्थ्य जनिक – सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसे देखते हुये आस–पास के गांव वाले भी वृक्षारोपण एवं जैविक कृषि की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं व क्षेत्र में जैविक कृषि – वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक लहर सी चल पड़ी है।

गुर्जर बताते हैं संस्था की सीख से ही पर्यावरण प्रदूषण के कारकों की समझ जैविक कृषि एवं वृक्षारोपण अभियान से जुड़े हैं। साथ ही प्रकृति संरक्षण कार्य उनके जीवन की प्राथमिकता रहेगी।

चैनपुरा चारागाह का कायाकल्प

–विलायती बबूल एवं झाड़ियों से आच्छादित ऊबड़–खाबड़ बंजर भूमि, अतिक्रमणों की भरमार, न पेयजल की व्यवस्था, न मवेशियों के लिये चारे की सुलभता, यह था ग्राम पंचायत चैनपुरा (मालपुरा) के चरागाह भूमि का दो वर्ष पुराना चित्रण।

पर आज वहां सब–कुछ बदल चुका है, करीब 200 बीघा चरागाह भूमि पर मेडबन्दी हो चुकी है। साथ ही गोचर भूमि में अभियान चलाकर करीब 2500 पौधे लगाये जा चुके है, मवेशियों को बारह माह पेयजल सुलभ हो, इस हेतु पानी संग्रहण हेतु 24 छोटी–बड़ी नाड़ियॉ खुदवायी गयी है। अभी आस–पास के किसानों के मवेशियों के टहलते एवं खुले में चारा चराई करते देखा जा सकता है।

200 बीघा गोचर को हरा–भरा करने में चैनपुरा सरपंच दीपिका सूत्रकार ग्राम विकास समिति सदस्यों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का योगदान रहा है, पर ग्रामीण जनता की सक्रिय भागीदारी–सहभागिता से ये पर्यावरण संरक्षण आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा से जुड़ा यह कार्य स्वप्रेरणा से एक पर्यावरण उत्सव की भांति सम्पन्न हुआ जो एक आदर्श उदाहरण है, पूरे क्षेत्र के लिये।

ग्राम पंचायत की आम जनता की पर्यावरण संरक्षण के प्रति निष्ठा देखते

हुये ग्राम पंचायत चैनपुरा के चारों ग्रामों चैनपुरा, बस्सी, डेंचवास व चौसला को भेड–ऊन व चारा कृषि अनुसन्धान केन्द्र अविकानगर ने गोद लेकर विभिन्न प्रकल्प (केंचुआ खाद प्लान्ट, खाद–बीज वितरण के साथ भेड़ नस्ल सुधार, कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही फलदार पौधों के टीकाकरण, पशु संरक्षण आदि) पर सवा करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं, जो किसानों की खेती एवं पशुपालन पर खर्च होंगे। इससे विकास की बयार सी चल पड़ी है।

इस कार्य करने की प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन में एक शख़्स की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, वह है हरिनारायण सूत्रकार जो वर्तमान किसान सेवा समिति महासंघ के वरिष्ठ सदस्य है। साथ ही विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में आपका सहयोग अनवरत रहा है। श्री सूत्रकार का कहना है सिकोईडिकोन संस्था से जुड़ने के बाद प्रशिक्षण शिविरों एवं शैक्षणिक भ्रमणों से जलवायु परिवर्तन, जैव परिवर्धित खेती, जैविक कृषि, चरागाह संरक्षण, समर्थन मूल्य आदि पर गहन जानकारी मिली। इन विषयों पर कार्य करने की नई ऊर्जा मिली, एक दिशा मिली।

अगर मानव को विकास का समुचित अवसर एवं भविष्य की राह दिखाने वाला मिल जाये, तो दृढ़ निश्चय एवं मेहनत के बल पर उसके लिये जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना असम्भव नहीं, ऐसे लोगों के सफ़लता चरण चूमती है। इस ध्येय वाक्य को सार्थक कर दिखाया शाहबाद (बॉरा) में सिकोईडिकोन संस्था द्वारा संचालित ड्रॉप आऊट सहरिया बालिका आवासीय शिविर में अध्ययनरत रही सहरिया बालिकाओ ने।

ग्राम सेमली फाटक (शाहबाद) की रहने वाली सावित्री सहरिया कक्षा 10 में फेल हो गयी, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस कारण परिवार वालों ने पढ़ाई छुड़वाकर घर पर बैठा दिया, एक वर्ष घर रहने के बाद पिताजी मुंशी लाल सहरिया को पता चला कि सिकोईडिकोन संस्था 9वीं एवं 10वीं फेल बालिकाओं को 10वीं पास करवाने हेतु ड्राप आउट सहरिया आवासीय शिविर चला रही है, जिसमें बालिकाओं के रहने व खाने–पीने की निःशुल्क व्यवस्था है तो पिताजी ने एक वर्ष बाद सावित्री का एडमीशन सिकोईडिकोन संस्था के शिविर में कराया, जहॉ से उसने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद पुलिस की भर्ती निकली, सावित्री ने पुलिस का फार्म भरा एवं सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो वह पुलिस में भर्ती हो गयी। परिवार के लिये अदभुत क्षण थे, पूरे परिवार में पहली बार किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिली है।

सावित्री के पिता मुन्शी लाल सहरिया का कहना है, संस्था के आवासीय शिविर ने परिवार की काया पलट कर दी। उन्होंने संकल्प दोहराया बड़ी बेटी सरकारी नौकरी में चली गयी व वे अपनी दूसरी बेटी एवं बेटे को भी पूरी पढ़ाई पढ़ायेंगे। चाहे इसके लिये कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। सावित्री अकेली ऐसी बालिका नहीं है जिसने यह सफ़लता हासिल की है।

ग्राम पंचायत नाटई के ग्राम हरिपुरा की रहने वाली शकुंतला व सुलोचना की सफ़लता भी इसी तरह प्रेरणादायी है, उसके पिताजी श्री रामाकिशन जी ससुराल में रहकर मज़दूरी करके (एक सरदार जी का ट्रेक्टर चलाकर) अपने बुढ़े सास–ससुर के पालन–पोषण के साथ स्वयं की बेटी सुलोचना के साथ अपनी साली शकुन्तला सहरिया की लालन–पालन व पढ़ाई की जिम्मेदारी इनके कन्धों पर थी।

रामाकिशन सहरिया बताते हैं कि मैंने अपने बेटी सुलोचना के साथ साली शकुन्तला को भी पढ़ाया, दोनों दसवीं में फेल हो गयी तब सिकोईडिकोन द्वारा संचालित ड्राप आऊट सहरिया बालिका आवासीय शिविर की जानकारी मिली, मैंने अपनी बेटी व साली दानों को शिविर में एडमिशन दिलवाया। दोनों ने वहीं से दसवीं पास की आज दोनों ही पुलिस में भर्ती हो गयी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी व साली सरकारी नौकरी करेंगी, पर आज़ उनका स्वप्न साकार हो गया और क्यों न हो।

शिक्षा के अभाव एवं जागरूकता की कमी से जकड़े सहरिया समाज़ में से बालिकाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला तो अपनी लगन व मेहनत के बल पर आज वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सेवा कार्य में जुटी है।

महिला सशक्तिकरण व वजूद परियोजना

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विविधता वाले समुदाय रहते हैं। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन आज भी जेंडर असमानता समाज में व्यापक रूप से व्याप्त है। राज्य का लिंग अनुपात 928 है जबकि बाल लिंग अनुपात 888 है। वर्ष 2015–16 में 20–24 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में से 40.5 प्रतिशत महिलाएं ऐसी थीं जिनका विवाह 18 वर्ष पूर्व हुआ था। राज्य में महिला साक्षरता मात्र 51.12 प्रतिशत है।

राज्य में 2016 में दहेज हत्या के मामलों में 13.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2013 में 3285 बलात्कार के मामले दर्ज हुए और 15094 मामले घरेलू हिंसा के आए। इन मामलों में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर था। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के अपराधों में राजस्थान 8.6 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर था जबकि 2016 में तीसरे स्थान पर रहा। आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं पर हिंसा निरन्तर बढ़ रही है।

जेंडर आधारित हिंसा एवं भेदभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर तो परिलक्षित होती ही है लेकिन यह महिलाओं के शारीरिक, मानसिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य को भी गम्भीर रूप से प्रभावित करता है। हिंसा बंद होने के पश्चात् भी ये प्रभाव जीवनपर्यन्त महिला के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित 15 से 44 वर्ष की महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा में कमी आंकी गई है।

महिलाओं पर हिंसा के आंकड़ों एवं परिणामों की गम्भीरता को देखते हुए वजूद कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। वजूद कार्यक्रम समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से घरेलू हिंसा एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति वातावरण निर्माण करते हुए समाज को जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया है ताकि घरेलू हिंसा व उत्पीड़न से निवारण के लिए उपलब्ध परामर्श एवं कानूनी सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच बढ़ सके। परियोजना प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा से पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान करने के साथ उनके प्रजनन स्वास्थ्य पर पुरूषों की संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास करेगी। परिवार नियोजन में पुरूषों की भागीदारी सुनिश्चित करना परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राजस्थान में 42.5 प्रतिशत महिलाएं नसबन्दी करवाती हैं जबकि इसमें पुरूषों की भागीदारी मात्र 0.2 प्रतिशत है। सिकोई इंडिकोन राजस्थान के निवाई (टोंक) एवं चाकसू (जयपुर) विकास खण्डों में पॉपुलेशन सर्विसेज़ इन्टरनेशनल के सहयोग से वृहद् स्तर पर जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है तथा स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम विकास समितियों के माध्यम से सामाजिक बदलाव एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। हिंसा मुक्त परिवार की सोच को प्रचारित करने तथा बेहतर पारिवारिक सामंजस्य के लिए चाकसू एवं निवाई में परामर्श केन्द्रों की स्थापना की गई है जहां महिलाएं निर्भीक होकर परामर्श एवं सहयोग के लिए जा सकती हैं। वजूद परियोजना महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता हेतु समुदाय, जन प्रतिनिधियों, प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्था का एक साझा प्रयास है।

संगठन द्वारा गांव का किया विकास

शाहाबाद ब्लॉक से 48 किमी. की दूरी पर स्थित ग्राम घेंसुआ जो कि ग्राम पंचायत बिची में आता है। जहां पर सहरिया परिवार के 70 परिवार, किराड़ के 10 परिवार व कोली के 35 परिवार निवास करते हैं। ग्राम घेंसुआ में सहरिया समुदाय के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिये खेती व मजदूरी पर आश्रित है। यह गांव 2001 में संस्था द्वारा कार्यक्षेत्र में जोड़ा गया। उसके बाद गांव के विकास के लिये ग्राम विकास समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष मथुरालाल सहरिया को बनाया गया। ग्राम विकास समिति द्वारा अपने गांव के विकास के लिये कई सराहनीय कार्य किये गये जिसमें समूदाय के लोगों ने भी सहयोग किया।

ग्राम विकास समिति द्वारा किये गये मुख्य कार्य निम्न है :–

1. ग्राम घेंसुआ में बरसात के समय मावाडी के कोने से लेकर कूरी के मकान तक सड़क न होने के कारण पानी भर जाता था। जिससे गांव वालों को आने–जाने में काफी समस्या आती थी व हमेशा कीचड़ बना रहता था। कीचड़ से मच्छर पनपते थे, जिससे गांव में बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही थी। गांव की इस समस्या का प्रस्ताव ग्राम विकास समिति में आया तो वीडीसी अध्यक्ष मथुरालाल सहरिया द्वारा खरंजा का प्रस्ताव अगस्त, 2016 को पंचायत मीटिंग में दिया गया, जिसका लगातार फॉलोअप किया गया व दिस्मबर, 2016 में मावाड़ी के कोने से लेकर कूरी के मकान तक खरंज़े का निमार्ण पंचायत द्वारा करवा दिया गया। अब उस रास्ते पर गंदगी नहीं रहती है।

2. ग्राम घेंसुआ में पेयजल की समस्या को देखते हुए ग्राम विकास समिति द्वारा ग्राम पंचायत में नया ट्यूबवेल हेतु प्रस्ताव दिया गया, जिससे एक नई ट्यूबवेल पंचायत द्वारा लगा कर पेयजल समस्या का समाधान किया गया।

3. ग्राम घेंसुआ में दबंग लोगों के द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे पशुओं हेतु पशुओं को चराने की समस्या थी। चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का ज्ञापन ग्राम विकास समिति द्वारा तहसीलदार को दिया गया और अतिक्रमण को हटवाया गया। उसके बाद वीडीसी द्वारा नाली खुदाई एवं पौधा रोपण हेतु पंचायत में प्रस्ताव दिया गया और पंचायत द्वारा जल स्वावलम्बन योजना के तहत् नाली खुदाई व पौधा रोपण का कार्य करवाया गया।

4. गांव घेंसुआ में कुछ परिवारों के पास स्वयं कम भूमि होने के कारण वह वन भूमि पर खेती करते है, जिससे वन विभाग के लोग उन्हें परेशान करते हैं। ग्राम विकास समिति अध्यक्ष द्वारा 15 लोगों को वन भूमि की दावा फाईल लगवाई गई थी, जिसको किसी कारण से खारिज करवा दिया गया। इसके लिये ग्राम विकास समिति के माध्यम से दिनांक 03.12.2016 को उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की निगरानी मे अपील फार्म भरवा कर अपील करवाई गई।

5. ग्राम घेंसुआ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् 25 परिवारों को राशन सामग्री नहीं मिल रही थी। यह समस्या गांव वालों द्वारा ग्राम विकास समिति में रखी गई, जिसके बाद ग्राम विकास समिति अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव बनाकर किसान सेवा समिति को दिया गया और किसान समिति द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में 25 परिवारों की अपील करवाई गई।

6. गांव घेंसुआ में 12 सहरिया परिवारों को सहरिया परियोजना द्वारा सहरिया आवास स्वीकृत किये गये थे, जिसका कार्य स्वच्छ परियोजना को दिया गया। लेकिन परियोजना द्वारा 12 सहरिया परिवारो को नींव खुदाई कर छोड़ दिया गया, जिसके लिये किसान सेवा समिति अध्यक्ष मथुरा लाल द्वारा क्षेत्रिय जनजाति आयुक्त महोदय को दिनांक 28.01.2017 को ज्ञापन दिया गया।

7. ग्राम घेंसुआ में 5 किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिल रही थी क्योंकि किसानों की मृत्यु हो चुकी थी उसके लिये अध्यक्ष द्वारा किसानों के भुगतान हेतु इंतकाल खुलवा कर किसानों के परिवारों को मुआवजा का भुगतान करवाया गया।

8. ग्राम घेंसुआ में 5 सहरिया बालिका को 9वीं फेल होने के कारण सरकारी छात्रावास में प्रवेश नही मिल रहा था इसके लिये वीडीसी अध्यक्ष द्वारा सहरिया परियोजना द्वारा संचालित ड्रॉप–आउट बालिका शिविर मे प्रवेश दिलवाया गया।

शेष पृष्ठ 12 का .....

राजस्थान के ओरणों का प्रदेश की प्राकृतिक भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थिति से सीधा सम्बन्ध है। अरावली के इस तरफ ओरण और उस तरफ देवी–बनी या राखत बनी के नाम से जाने जाने वाली इस परम्परा ने प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सन्तुलन बनाये रखने में निरन्तर योगदान दिया है। यह परम्परा न केवल पर्यावरण संरक्षण व संतुलन बनाये रखने की परम्परा है बल्कि ऐसा करने के मार्गो व पद्धतियों के अन्वेषण की परम्परा भी है। इन तौर तरीके के प्रभाव व परिणाम के जीवन्त सबूत है हमारे ओरण।

पर्यावरण संरक्षण की इस परम्परा ने राजस्थान की जैव विविधता एवं सम्पूर्ण वनस्पति के साथ इस प्रदेश के लोगो का रिश्ता जोडा है और हर वनस्पति के गुण धर्म को जानकर इसके उपयोग से हमें अवगत करवाया है।

पिछले दौर में हमने अपनी समस्याओं के हल के लिये आधुनिक मानी गयी पद्धतियों का अपनाकर देख लिया है दुर्भाग्य से वे हल हमे पूरी तरह सहारा नही दे पाये आज इसलिये फिर से ओरण की ओर लौटने का समय आ गया है। ओरण राजस्थान के फैलते सुखे व अकाल को एक बार फिर हरियाली की चादर ढ़क सकेगी।

-अनुपम मिश्र एवं रमेश थानवी

जैविक कृषि व बाधाऐं

बहुत से किसानों ने जैविक कृषि को अपना लिया है और बड़ी संख्या में किसान इसे अपनाना चाहते हैं परन्तु उनके मार्ग में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है जैविक खेती करने वाले किसानों के मार्ग में जो बाधाऐ एवं अवरोध आते है मुख्य रूप से वे है जैविक खेती के बारे में किसी पर्याप्त नीति का न होना, ऋण का न मिलना व बीमा कराने की समस्या जैविक व देशी बीजो की सीमित उपलब्धता मार्केटिंग की व्यवस्था न होना जैविक खेती के बारे में अनुसन्धान विकास एवं विस्तार सेवाओं, तकनीकी विकास एवं मशीनरी के लिये धन की कमी। जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है।

परन्तु जैविक कृषि के समक्ष संकटो के समाधान के लिये स्थायी प्रकृति के वैकल्पिक कुदरती खेती टिकाऊ पर्यावरण व भोजन की पोष्टिकता सुरक्षितता कृषि के आपसी तारतम्य के साथ यह खेती लाभकारी है इस विषय पर जन जागरण अभियान सरकार स्वयं सेवी संगठन आगे बढ़े।

साथ ही जैविक खेती करने वाले किसानो जैविक आन्दोलनों वैज्ञानिको नीति निर्धारको व सम्बन्धित संस्थानों के बीच सक्रिय एवं सार्थक सम्बन्ध स्थापित करने के व्यवहारिक प्रयास व संवाद स्थापित कर आगे की रणनीतिक रूपरेखा बनायी जा सकती है। अनुभवों को साझा करके जैविक खेती से सम्बन्ध विभिन्न गतिविधियों के बारे में पूरे देश का अवगत कराने की दिशा में सार्थक पहल होनी चाहिये।

जैविक किसानों के हित में विपणन एवं अन्य गतिविधियों के लिये एक समय–समय पर एक मन्च पर इसके परिणाम की समीक्षा करना अनवरत जारी रहे। क्योंकि अब विश्व भर में खेती पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों पर वर्तमान तकनीक (रासायनिक खाद से पडने वाले दु:प्रभावी की बहस चल पडी है। लोगो का आंकलन है खेती में पिछले दशको में जो तकनीक आयी है वह किसान व खेत दोनो का विनाश कर रही है।

अब जब सारा विश्व करवट बदल रहा है तो हमे भी जैविक खेती की दिशा में सकारात्मक कदम उठाना श्रेयस्कर है। जिससे पर्यावरर्णीय विनाश के साथ मानवसभ्यता को संरक्षित रखा जा सके।

श्रद्धा–सुमन

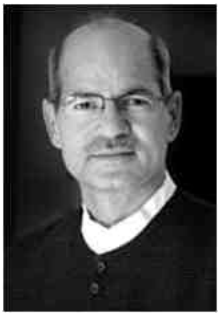

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्री महोदय, भारत सरकार माननीय अनिल माधव दवे के निधन पर सिकोईडिकोन व किसान सेवा समिति महासंघ परिवार श्रद्धा सूमन अर्पित करता है।

सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद् एवं नर्मदा प्रेमी निष्काम कर्मयोगी की तरह थे। उनका आचरण, व्यवहार, सोच व कार्यशैली सिद्धान्तों से परिपूर्ण थी। वे पर्यावरण संरक्षण के साथ नर्मदा प्रेम (नदियों के प्रति गहरा लगाव) के इर्द–गिर्द बड़े लक्ष्य को लेकर चले।

इन्होंने 2013 में एक व्याख्यान के दौरान कह दिया था, मौत से क्या डरना, मृत्यु तो अटल सत्य है।

किसान सेवा समिति महासंघ की गतिविधियाँ

किसान सेवा समिति महासंघ ने वन, पर्यावरण मन्त्री महोदय को तथ्यात्मक ज्ञापन भेजकर राजस्थान में जी. एम. सरसों के व्यवसायिक उपयोग हेतु अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है। महासंघ प्रतिनिधि मण्डल ने माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार ने भेंटकर राज्य के किसानों से निम्न मुद्दों पर किसानों का समर्थन करते हुये मुद्दों के समाधान का निवेदन किया।

1. राज्य को जी. एम. फ्री स्टेट घोषित किया जाये ताकि जैव परिवर्धित बीजों से पर्यावरण, जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं किसानों की आजीविका पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से बचा जा सके एवं जी. एम. सरसों की अनुमति न दी जाए।
2. किसान को अपनी उपज/ लागत का 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य पर खरीदने की नीति बने, जिससे किसान को फसल बेचने पर घाटा न हो।
3. समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र खोलने के लिये ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अधिकृत किया जाये। यदि सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से किसान का उत्पाद खरीदती है व भण्डारण की सुविधा उपलब्ध करवाती है तो स्थानीय छोटे किसानों हेतु लाभकारी होगा। ये केन्द्र वर्ष भर खुलें।
4. किसानों को आपदाओं व अन्य कारणों से फसल नष्ट हो जाने या खराब हो जाने पर अविलम्ब गिरदावरी की व्यवस्था सुनिश्चित हो ताकि समय पर फसल खराबा का मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित हो व उसकी समुचित मॉनिटरिंग हो।
5. जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु जैविक बाजार एवं विशेष जैविक कृषि जोन व्यवस्थित रूप से विकसित किये जाये।
6. जलवायु परिवर्तन का खेती पर पड़ रहे कुप्रभावों को देखते हुये पृथक से जलवायु परिवर्तन सैल बनाया जाये, जिसके माध्यम से किसानों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन किया जाये।
7. स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाईमेट चेन्ज की क्रियान्विति में किसान संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित हो व एक्शन प्लान का प्रगति विवरण सार्वजनिक हो।
8. चरागाह संरक्षण हेतु नरेगा के तहत् चरागाह में मेडबन्दी, नाड़े व सेमण घास लगाने का नीतिगत निर्णय हो। ग्रामों में पशुपालन ही आजीविका का मुख्य आधार है।
9. खुले पशुओं व जंगली जानवरों से खेतों में होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए तारबंदी पर सब्सिडी सुनिश्चित हो।
10. किसानों की फसल की बुवाई के पूर्व खाद–बीज़ वितरण सुनिश्चित हो।
11. कृषि कार्य पर बढ़ती लागत, महॅगाई व आपदाओं के चलते कर्ज में फॅसे किसानों का ऋण माफ़ कर राहत प्रदान की जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

किसानों के साथ कार्यशाला

किसान सेवा समिति महासंघ

आज़ादी के उपरान्त देश में विभिन्न संगठन अलग–अलग वर्गों के मुद्दों को लेकर किसान, गरीब व वंचितों की आवाज उठा रहे हैं। इसी क्रम में किसानों व गरीबों की आवाज को उठाने के लिए राज्य में अलग–अलग संगठनों में किसान सेवा समिति कार्य कर रही है। किसानों व वंचितों के मुद्दों की राज्य–स्तर पर आवाज़ को मज़बूत करने के लिए 2004 में किसान सेवा समिति महासंघ का गठन हुआ जो सतत् रूप से किसानों, गरीबों, वंचितों, महिलाओं व दलितों की आवाज़ को मज़बूत कर रही है।

महासंघ केवल जड़स्तर के मुद्दों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है अपितु राज्य व राष्ट्र स्तर पर नीतियों को जड़स्तर तक पहुंचान व मुख्य रूप से क्रियान्वित हेतु कार्य करती है।

परिचय :-

किसान सेवा समिति महासंघ राज्य स्तरीय जन संगठन है– जो किसानों, महिलाओं, दलित, आदिवासी एवं वंचित वर्ग के सामाजिक–आर्थिक विकास एवं इनके हितों से जुड़े मुद्दों व अधिकारों की क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरवी करना है। जो विशुद्ध गैर राजनीति जन आन्दोलन पर आधारित है। महासंघ का प्रमुख कार्य राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को प्रकाश में लाना व उन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना है। समान विचारधारा वाले संगठनों को संगठित करने के साथ–साथ उसमें राष्ट्रीय बोध, समतामूलक, शोषण मुक्त समाज की रचना आदि नीतियों के प्रति सहमति बनाना भी महासंघ का लक्ष्य है। हम मूल्य आधारित ऐसी शक्ति हासिल करना चाहते हैं कि सरकारों को ऐसी नीतियों को बदलने को मजबूर करने की क्षमता हासिल कर सके जो जनहित की न हो। स्थानीय ब्लॉक एवं जिला स्तर पर संगठनों एवं समुदाय प्रतिनिधियों की जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि करना ताकि वे सामुदायिक अधिकारों को वास्तविक रूप से लागू करने एवं सुनिश्चित करने में स्थानीय सुशासन प्रक्रिया, पंचायत राज एवं जन–आन्दोलनों के साथ सहज़ता से जुड़े रहे। ऐसे मुद्दों पर प्राथमिकता रहेगी, जो आमजन से जुड़े हुए हों, विशेषतः प्रयास– दलित, वंचित, महिला, बच्चे व किसान से जुड़े होंगे।

वर्तमान समय के कार्य :-

जलवायु परिवर्तन, शिक्षा की विसंगतियों एवं समानीकरण, महंगाई, राहत कार्य सर्वे, जैव परिवर्धित एवं जैव विविधता, अकाल, चारा–पानी, सार्वजनिक वितरण, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले इस सन्दर्भ में महिला उत्पीड़न, भू–अधिकार, नरेगा, घुम्मकड़ जातियों के हितों पर, राज्य बजट पर, स्वास्थ्य।

भावी योजना:- राज्य स्तरीय संगठन के प्रतिनिधि राज्य के सभी जिलों से जुड़े हों तथा हम एकजुट होकर राज्यस्तरीय प्रयासों को ज्यादा गति दो पायें।

प्राथमिकताएं :-

जलवायु परिवर्तन ,राज्य की स्थायी अकाल एवं जलनीति बनवाना व प्रभावी क्रियान्वयन करवाने का सतत प्रयास। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समुदायों तक पहुँचाना सुनिश्चित करना। पंचायतों को उनके अधिकार दिलवाना। खाद्य सुरक्षा की बिल की अनुपालन करना। शिक्षा के अधिकार बिल की सही अनुपालना।

महिलाओं व दलितों के अधिकारों को दिलवाना। भू–अधिकार से वंचितों को अपना अधिकार दिलवाना। साझा समझ वाली संस्थाओं से नेटवर्किंग

सीख :- जीवन वास्तव में अनवरत सीखने एवं विकास करने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया प्रभावी एवं उपयोगी हों, अतः प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने साथ–साथ उस समाज की ताकत एवं कमज़ोरियों से परिचित हो जिसका वह अंग है।

किसान सेवा समिति महासंघ

स्वराज कैम्पस, एफ-159-160, सीतापुरा औद्योगिक एवं संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302022 (राज.)

टेलीफोन : 0141-2771488, 3294834-35, फैक्स : 0141-2770330

PAREEK • 9414363099